रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 519] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1971/आश्विन 28, 1893
No. 519] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1971/ASAVINA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

AUDYOGIK VIKAS MANTRALAYA

ORDER

New Delhi, the 20th October 1971

S.O. 4032/18A/IDRA/71.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967, namely:—

In paragraph 2 of the said Order,—

(i) for item 1, the following item shall be substituted, namely:—

"1. S. V. Sampath, Joint Secretary (Sugar), Ministry of Agriculture (Department of Food), New Delhi.";

(ii) in item 2 relating to Shri N. S. Jain, for the words "Additional Chief Director", the words "Chief Director" shall be substituted;

(iii) for item 3 relating to Shri Jitendra Prasad, the following item shall be substituted, namely:—

"3. Shri R. P. Sinha, Secretary, Department of Cooperation and Sugarcane, Government of Bihar, Patna.".

[No. 9(2)/Lic Pol./67.]

S. K. SAHGAL, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1971

का० नि० 4032/18-ए/आई०डी०आर०ए०/71—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 4460/18ए/आई०-डी०आर०ए०/67, तारीख 14 दिसम्बर, 1967 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में,—

(i) मद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"1—एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव (चीनी), कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली।";

(ii) श्री एन० एस० जैन से संबंधित मद 2 में, "अपर मुख्य निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य-निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(iii) श्री जितेन्द्र प्रसाद से संबंधित मद के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"3—श्री आर० पी० सिन्हा, सचिव, सहकारिता और गन्ना विभाग, बिहार सरकार, पटना।"

[सं० 9(2)/लाई० पौल०/67]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971